कुलाधिपति
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
UTTAR PRADESH, LUCKNOW

राजभवन, लखनऊ
RAJBHAWAN, LUCKNOW

Ref. No. : ....

Date. : ....

संख्याः ई– 4300 /जी0एस0

दिनांक 13/06/ ,2024

आदेश

1. प्रत्यावेदक डा0 सत्येन्द्र कुमार सोनकर, प्रोफेसर, मेडिसिन विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (आगे 'विश्वविद्यालय') द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (आगे 'अधिनियम') की धारा 53 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.10.2022 के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत ज्येष्ठता सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.07.2022 को निरस्त किये जाने एवं ज्येष्ठता का पुनर्निर्धारण करते हुए स्वयं को क्रमांक 3 पर तथा डॉ0 श्याम चन्द्र चौधरी, विपक्षी को क्रमांक 4 पर रखवाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2(क). प्रत्यावेदक का कथन है कि बैकलॉग चयन के अन्तर्गत मेडिसिन विभाग में विश्वविद्यालय द्वारा रिक्त व्याख्याता/सहायक प्रोफेसर (एससी–01, ओबीसी–01) के दो पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्याः बैकलॉग/सीएसएमएमयू–12/बी–2008, दिनांक 20.08.2008 तथा इसी विभाग में व्याख्याता/सहायक प्रोफेसर के रिक्त कुल 08 पदों पर सामान्य चयन (अनारक्षित–02, अन्य पिछड़ा वर्ग–04, अनु0जाति–02) के अन्तर्गत विज्ञापन संख्याः सीएसएमएमयू–33/बी–2008, दिनांक 20.08.2008 भी जारी किया गया था। प्रत्यावेदक अन्य अभ्यर्थियों सहित बैकलॉग चयन एवं सामान्य चयन के अंतर्गत विज्ञापित आरक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन कर, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दोनों साक्षात्कार में सम्मिलित हुआ था। चयन समिति द्वारा प्रत्यावेदक को बैकलॉग विज्ञापन के सापेक्ष सहायक प्रोफेसर के पद पर चयन हेतु दिनांक 22.02.2009 को संस्तुत किये जाने पर नियुक्ति पत्र जारी किया गया। बैकलॉग के अन्य पिछड़ा वर्ग के सापेक्ष सम्मिलित अभ्यर्थी डॉ0 मुन्नालाल व्याख्याता पद पर संस्तुत व चयनित किये गये।

2(ख). बैकलॉग के अन्तर्गत विज्ञापित पद, सामान्य विज्ञापन द्वारा विज्ञापित पदों के पूर्व चयन वर्ष के रिक्त पद थे तथा प्रत्यावेदक का चयन, सामान्य भर्ती के लिए किये गये चयन से पहले किया गया है इसलिए प्रत्यावेदक सामान्य चयन के अन्तर्गत अर्थात बाद में चुने गए

अन्य सभी उम्मीदवारों से वरिष्ठ होगा। प्रत्यावेदक को दिनांक 24.02.2013 से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर, दिनांक 21.01.2016 से प्रोफेसर जूनियर ग्रेड (एडीशनल प्रोफेसर) और दिनांक 24.02.2017 से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति भी प्रदान की गयी थी । सम्बन्धित नियुक्ति का तुलनात्मक सारांश निम्न है :

कमांक	विवरण	प्रत्यावेदक / डॉ0 सत्येन्द्र कुमार सोनकर	विपक्षी / डॉ0 श्याम चन्द्र चौधरी
1.	विज्ञापन	सीएसएमएमयू–12 / बी–2008 दिनांक 20.08.2008	सीएसएमएमयू–33 / बी–2008 दिनांक 20.08.2008
2.	नियुक्ति / संस्तुति–पत्र	संदर्भ संख्याः 17690 / बी–09 दिनांक 22.02.2009	संदर्भ संख्याः 17713 / बी–09 दिनांक 22.02.2009
3.	कार्यभार ग्रहण	सहायक आचार्य दिनांक 24.02.2009	सहायक आचार्य दिनांक 24.02.2009

2(ग).प्रत्यावेदक के कथनानुसार, प्रत्यावेदक की नियुक्ति बैकलॉग विज्ञापन के अंतर्गत सहायक आचार्य पद पर जबकि विपक्षी डॉ० चौधरी की नियुक्ति (सामान्य चयन) के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक आचार्य (अ0पि0वर्ग) पद पर की गयी थी, इस प्रकार विपक्षी डॉ0 चौधरी को प्रत्यावेदक के चयन के बाद चयनित किया गया था, इसलिए विपक्षी डॉ० चौधरी को वरिष्ठता नियमों के अनुसार वरिष्ठता सूची में प्रत्यावेदक से नीचे रखा जाना चाहिए था। प्रत्यावेदक व विपक्षी की नियुक्तियॉ वर्ष 2009 में की गयी थी, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 23.11.2021 को प्रकाशित कर 15 दिन में आपत्तियॉ मांगी गयीं, प्रत्यावेदक द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक 29.11.2021 को कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, किन्तु प्रत्यावेदक की आपत्तियों पर विचार किए बिना विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 16.07.2022 को प्रकाशित कर दी गई, जिसमें विपक्षी डॉ० चौधरी को अवैध एवं मनमाने तरीके से वरिष्ठता क्रमांक 03 पर तथा प्रत्यावेदक को वरिष्ठता क्रमांक 04 पर रखा गया है।

2(घ). यह स्थापित सिद्धान्त है कि पूर्व चयनित व्यक्ति की वरिष्ठता, पश्चात्वर्ती चयन वाले व्यक्ति से ऊपर होगी, जैसे कि बैकलॉग से सम्बन्धित विज्ञापन संख्या 12 / बी–2008,

दिनांक 20.08.2008 एवं सामान्य चयन की विज्ञापन संख्याः 33/बी–2008, दिनांक 20.08.2008 थी। दोनों विज्ञापनों के चयन एक ही दिन सम्पन्न हुए थे किन्तु बैकलॉग चयन, सामान्य चयन से पहले होने के कारण प्रत्यावेदक को नियुक्ति पत्र संख्याः 17690/बी–09, दिनांक 22.02.2009 एवं विपक्षी डॉ0 चौधरी को नियुक्ति पत्र संख्या : 17713/बी–09 दिनांक 22.02.2009 कमशः निर्गत किये गये थे। बैकलॉग चयन, सामान्य चयन से पूर्व प्रभावी होगा एवं उसी वर्ष से सम्बन्धित बैकलॉग को सामान्य चयन पर वरिष्ठता दी जायेगी। अलग–अलग विज्ञापनों के तहत चयनित उम्मीदवारों की परस्पर वरिष्ठता को किसी भी चयन समिति द्वारा जोड़ा नहीं जा सकता है लेकिन चयन समिति द्वारा मनमाने तरीके से दोनों विज्ञापनों (बैकलॉग एवं सामान्य चयन) को मिलाकर संयुक्त रूप से चयनित उम्मीदवारों की परस्पर वरिष्ठता निर्धारित कर दी गयी है अतएव प्रत्यावेदक के डॉ0 चौधरी से वरिष्ठ होने पर भी वरिष्ठता सूची में उसे विपक्षी से नीचे रखे जाने के कारण उपर्युक्त वरिष्ठता दुबारा निर्धारित की जाये।

2(च). प्रत्यावेदक का यह भी कथन है कि विश्वविद्यालय द्वारा वरिष्ठता समिति में डॉ० अनूप कुमार वर्मा (अनारक्षित संकाय सदस्य) को नियुक्त किया गया था जो अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में थे। विश्वविद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 116 संकाय सदस्य कार्यरत हैं, लेकिन डॉ0 अनूप कुमार वर्मा उनमें से नहीं है। डॉ० वर्मा ने स्वयं को अनारक्षित संकाय सदस्य के रूप में सत्यापित किया है और फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग की वरिष्ठता सूची उनके द्वारा हस्ताक्षरित की गयी, जिससे वरिष्ठता समिति का गठन विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम में निर्धारित वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है।

2(छ). सीधी भर्ती की वरिष्ठता के मामले में, भर्ती की संस्तुति के कालक्रम के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और यदि भर्ती की अनुशंसा/संस्तुति की तिथि समान है तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 20011/1/2008–Estt.(D) दिनांक 11.10.2010 के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना चाहिए था। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 05 मार्च, 2021 को सिविल अपील संख्या 3745–3754 ऑफ 2020 में यह

उल्लेख किया गया है कि बैकलॉग रिक्तियों और विशेष समुदाय के लिए वर्तमान रिक्तियों को पृथक–पृथक से विज्ञापित किया जाना चाहिए और सीधी भर्ती से पहले, बैकलॉग रिक्तियों को समायोजित करने के बाद ही वर्तमान रिक्तियों को समायोजित करना होगा। अगली सीधी भर्ती में नियुक्ति के लिए चयन पहले बैकलॉग रिक्तियों हेतु किया जाएगा और फिर सामान्य रोटेशन का पालन किया जाएगा तदनुसार प्रत्यावेदक द्वारा उसे उपर्युक्त याचित अनुतोष प्रदान कराये जाने की याचना की गयी है।

3(अ). डा० श्याम चन्द चौधरी, विपक्षी का कथन है कि विज्ञप्ति दिनांक 20.08.2008 के अनुसार प्रत्यावेदक व डॉ0 चौधरी ने अपने प्रार्थना पत्र दिये थे, जिनके कम में एक ही चयन समिति (बैकलॉग व सामान्य विज्ञप्ति) द्वारा अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर चयन किया गया। डॉ0 चौधरी कम संख्या 1 पर व प्रत्यावेदक डॉ0 सोनकर कम संख्या 2 पर चयनित किये गये। परिनियम 11.10(2) के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत आचार्यो/सहायक आचार्यों एवं सह आचार्यों की वरिष्ठता का निर्धारण उनकी प्रथम नियुक्ति में चयन समिति द्वारा बनायी गयी मेरिट को आधार माना गया है, तदनुसार डॉ0 चौधरी चयन सूची/मेरिट सूची में ऊपर होने के कारण प्रत्यावेदक से वरिष्ठ है। वर्तमान प्रकरण में डॉ0 चौधरी मेरिट में नं0 1 पर एवं प्रत्यावेदक नं0 2 पर चयनित होने के कारण उन्हें परिनियम 11.10(2) व (3) अर्थात आयु का आधार प्रत्यावेदक को उपलब्ध नहीं है। प्रत्यावेदक को अन्य विश्वविद्यालय में कुछ समय कार्यरत रहने के आधार पर वरिष्ठता का लाभ प्राप्त नहीं होगा। परिनियम 11.10(4) के अनुसार, किसी भी अध्यापक द्वारा अन्य जगह से प्राप्त अनुभव एवं एस0आर0 के रूप में किया गया कार्य, वरिष्ठता निर्धारण में आगणित नहीं किया जायेगा।

3(ब). प्रत्यावेदक द्वारा चयन समिति द्वारा बनायी गयी मेरिट को 13 वर्ष बाद गलत घोषित करते हुए इसके विरुद्ध प्रत्यावेदन दिया गया है जबकि प्रत्यावेदक भी डॉ0 चौधरी के साथ ही चयनित होने पर कार्यभार ग्रहण कर उसी तिथि से अद्यतन कार्यरत है अतएव चयन समिति द्वारा तत्समय लिया गया निर्णय प्रत्यावेदक पर बाधित एवं प्रतिबन्धित है

तथा उसे 13 वर्षों से अधिक समय के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती है। उक्त चुनौती हेतु 90 दिन की समय सीमा निर्धारित है। पद चाहे बैकलॉग कोटे का हो या सामान्य का हो, यदि एक ही दिनांक में विज्ञापित होकर एक ही चयन समिति द्वारा एक साथ चयन किया गया है तो ऐसी स्थिति में चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की गुणवत्ता के आधार पर बनायी गयी मेरिट लिस्ट ही परिनियम 11.10.(2) के अनुसार वरिष्ठता का आधार होगी। विपक्षी व प्रत्यावेदक एक ही चयन समिति द्वारा चयनित किये गये हैं तथा नियुक्ति पत्र भी एक ही दिन जारी हुआ है एवं पदोन्नतियाँ भी एक ही दिनांक को हुई हैं, जिससे नियमावली, परिनियमावली प्रत्येक अध्यापक पर बाधित है तथा इसके विरुद्ध प्रत्यावेदक द्वारा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अपने को वरिष्ठ होने का आधार बनाया जा रहा है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय 1997 (1) यूपीएलबीईसी 459 में यह अवधारित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति विभाग में अपनी नियुक्ति के पूर्व से वरिष्ठता क्लेम नहीं कर सकता है।

3(स). विपक्षी का यह भी कथन है कि प्रत्यावेदक द्वारा प्रत्यावेदन में सिविल अपील संख्या 3745–3754 स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य बनाम के0 शोभना व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कुछ अंश लगाकर भ्रान्ति उत्पन्न करने की कोशिश की गयी है। उक्त निर्णय तमिलनाडु राज्य में लागू विशेष नियमों पर आधारित है इस विश्वविद्यालय में नहीं। डॉ0 चौधरी (विपक्षी) ने कथन किया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त सिविल अपील के निर्णय दिनांक 05.03.2021 के पैरा 28 में कहा गया है कि प्रथमतः जनरल मेरिट लिस्ट से भरा जायेगा जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा भी मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति करते हुए वरिष्ठता निर्धारित की गयी है। किसी भी चयन में विभागीय नियमों का विशेष महत्व है। State of Tamilnadu प्रकरण में Backlog vacancy को preference देने की व्यवस्था नियमावली में दी गयी है, जो मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के प्रस्तर 20 में उल्लिखित की गयी है, इसलिए मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया उक्त निर्णय विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2011 में वैसी व्यवस्था न होने

के कारण लागू नहीं होता है। यह विशेष नियमों पर दिया गया निर्णय है। अतः विभागीय वरिष्ठता सूची पर उठायी गयी प्रत्यावेदक की आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए, वरिष्ठता समिति के निर्णय के क्रम में, दिनांक 16.07.2022 को प्रकाशित की गयी वरिष्ठता सूची को यथावत् रखते हुए स्वयं/डॉ0 चौधरी को तीसरे स्थान पर तथा प्रत्यावेदक को चौथे स्थान पर रखा जाना उचित कहते हुए प्रत्यावेदक के प्रत्यावेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4(क). विश्वविद्यालय की आख्या में उल्लेख है कि विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग में Backlog Advt./CSMMU-12/B-2008 दिनांक 20.08.2008 द्वारा Lecturer/Assistant Professor (under Backlog Recruitment SC-01 OBC-01) एवं General Advt./CSMMU-33/B-2008 दिनांक 20.08.2008 द्वारा Lecturer/Assistant Professor (under General Recruitment UR-02 OBC-04 SC-02) विज्ञापित किये गये थे, जिसके सापेक्ष दिनांक 02.02.2009 को प्रत्यावेदक एवं अन्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र प्रेषित किये गये थे। साक्षात्कार में सफल हुए अभ्यर्थियों को चयन समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.02.2009 में अनुमोदनोंपरान्त बैकलॉग पद के विरुद्ध प्रत्यावेदक की नियुक्ति सहायक आचार्य (SC-category under Backlog Recruitment) के पद पर एवं General category under General Recruitment के अंतर्गत विपक्षी डा० चौधरी की नियुक्ति सहायक आचार्य (OBC-category under General Recruitment) के पद पर की गयी थी। चयन समिति द्वारा तैयार की गयी चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची निम्नवत् निर्धारित की गयी है:-

1. **Dr. Shyam Chand Chaudhary (AP) (OBC)**
2. **Dr. Satyendra Kumar Sonkar (AP) (SC)**
3. Dr. Vivek Kumar (AP) (SC)
4. Dr. D. Himanshu (Lecturer) (UR)
5. Dr. Avinash Agarwal (Lecturer) (UR)
6. Dr. Ajay Kumar (Lecturer) (OBC)
7. Dr. Shailendra Prasad Verma (Lecturar) (OBC)
8. Dr. Kamlesh Kumar Gupta (Lecturar) (OBC)

9. Dr. Munna Lal (Lecturer) (OBC)
10. Dr. Abhishek Singh (Lecturer) (SC)

4(ख). बैकलाग भर्ती एवं सामान्य भर्ती, दोनों में एक ही चयन समिति द्वारा एक ही चयन वर्ष में सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया तथा तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रत्यावेदक एवं विपक्षी की नियुक्ति सहायक आचार्य के पद पर की गयी थी। विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमावली एवं उ०प्र० सरकारी सेवक नियमावली, 1991 में यह व्यवस्था इंगित नहीं है कि एक ही चयन वर्ष में चयनित अभ्यर्थियों को बैकलॉग के अन्तर्गत चयनित एवं सामान्य चयन के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों से नीचे रखा जाए और न ही इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश उपलब्ध है। विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक ही चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा प्रत्यावेदक एवं विपक्षी डा० श्याम चन्द चौधरी की नियुक्ति सहायक आचार्य (वेतनमान 11625–325–15200) के पद पर की गयी। चयन समिति द्वारा चयन के समय पारस्परिक ज्येष्ठता सूची का किया गया निर्धारण निम्नवत है:–

Sl. No.	Advt. No.	Name of Candidate	Post	DOB	Category
1	Advt-/CSMMU-33/B-2008	Dr. Shyam Chand Chaudhary	Assistant Professor	01.07.1976	OBC
2	Advt./CSMMU-12/B-2008	Dr. Satyendra Kumar Sonkar	Assistant Professor	08.03.1975	SC
3	Advt-/CSMMU-33/B-2008	Dr. Vivek Kumar	Assistant Professor	25.12.1974	SC

विश्वविद्यालय की ज्येष्ठता समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक 07.02.2022 के क्रम में शिक्षकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची (कार्यालय ज्ञाप सं० 192/बी–2021 दिनांक 23.11.2021 के क्रम में) प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अपनी संस्तुति "*However Dr. S.C. Chaudhary was at no. 1 as Inter-se-Seniority decided by Selection Committee. Seniority list prepared accordingly.*" उपलब्ध करायी गयी। उपरोक्तानुसार प्राप्त आपत्तियों के परीक्षण एवं निस्तारण के सम्बन्ध में पुनः कुलपति की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक दिनांक 04.01.2022 में लिये निर्णय के पश्चात् ज्येष्ठता समिति की संस्तुति एवं

कुलपति तथा कार्यपरिषद के निर्णय के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.07.2022 द्वारा रेडियोडायग्नोसिस विभाग को छोड़कर इस विश्वविद्यालय के समस्त विभागों के शिक्षकों की विभागीय पारस्परिक अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी है।

4(ग). विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2011 के परिनियम 41(d), 41(e) एवं 11.10(6) में इंगित व्यवस्था के आधार पर कुलपति द्वारा गठित ज्येष्ठता समिति में डा० अनूप कुमार वर्मा को अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में न होने की शिकायत की गयी है, के सम्बन्ध में आख्या में उल्लेख है कि डा० अनूप कुमार वर्मा की नियुक्ति फारेंसिक मेडिसिन विभाग में विज्ञापन सं0 2001/01 दिनांक 04.02.2001 के सापेक्ष प्रवक्ता (अनारक्षित) के पद पर हुई थी, परन्तु उनकी कैटेगरी अन्य पिछड़ा वर्ग है, जिसकी प्रामाणिकता की पुष्टि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र से की जा सकती है।

5(क). विश्वविद्यालय एवं विपक्षी डा० चौधरी की आख्या पर प्रेषित प्रत्यावेदक के प्रत्युत्तर में विश्वविद्यालय व विपक्षी के कथनों को अस्पष्ट एवं गलत धारणा वाले होने का उल्लेख कर, प्रत्यावेदन के तथ्यों पर बल देते हुए एवं उनकी पुनरावृत्ति करते हुए प्रत्यावेदक द्वारा मुख्यतः यह उल्लेख किया गया है कि इन आख्याओं में, नियमविरूद्ध कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 16.07.2022 द्वारा निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची के संदर्भ में अस्पष्ट और गलत तथ्य दिये गये हैं। चयन समिति द्वारा बैकलॉग चयन में डॉ0 एम0एल0 पटेल को अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार अभ्यर्थी के रूप में चयन किये जाने से स्पष्ट है कि डॉ० एस.सी. चौधरी ने डॉ. एम०एल० पटेल से कम अंक/ग्रेड प्राप्त किये हैं। चयन समिति द्वारा प्रत्यावेदक एवं डा० एम०एल० पटेल का चयन सामान्य विज्ञापन के सापेक्ष नहीं किया गया था, इसलिए चयन समिति दो पृथक–पृथक, बैकलॉग तथा सामान्य विज्ञापनों के सापेक्ष चयनित उम्मीदवारों को एक साथ समायोजित नहीं कर सकती है।

5(ख). उ.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3(6) की उपधारा (1) के अनुसार यदि किसी भी

श्रेणी का व्यक्ति सामान्य अभ्यर्थियों की भांति खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयनित हो जाता है तो वह आरक्षित रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार शासनादेश संख्याः 1/1/94-कार्मिक-1/1994 दिनांक 25.03.1994 के प्रावधानानुसार यदि आरक्षित श्रेणी का कोई भी उम्मीदवार सामान्य उम्मीदवारों के साथ खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयनित हो जाता है, तो उसे ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। इन तथ्यों को चयन समिति द्वारा दिये गये अंकों/ग्रेडिंग से प्रमाणित/सत्यापित किया जा सकता है, जिन्हें जानबूझकर छिपाया गया है।

5(ग). यदि राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठता के संबंध में कोई नियम नहीं बनाया गया है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे, जिसका उल्लेख कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा की गयी सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के बीच वरिष्ठता तय करने के लिए दिशा-निर्देश दिनांक 11.11.2010(पैरा 16) के सम्बन्ध में किया गया है। दो अलग-अलग विज्ञापनों यानी बैकलॉग और सामान्य भर्ती की वरिष्ठता को विलय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बैकलॉग पद पिछले भर्ती वर्ष की रिक्तियॉ हैं, जबकि सामान्य विज्ञापन वर्तमान भर्ती वर्ष के लिए बनाया गया है। बैकलॉग रिक्तियों और विशेष समुदाय के लिए रिक्तियों की अलग से घोषणा पृथक-पृथक की जानी चाहिए और सीधी भर्ती से पहले बैकलॉग रिक्तियों को समायोजित किया जाना चाहिए और उसके बाद ही वर्तमान रिक्तियों को समायोजित किया जाना चाहिए। अगली सीधी भर्ती की नियुक्ति से पहले, बैकलॉग रिक्तियों के लिए चयन किया जाएगा और फिर सिविल अपील संख्याः 3745-3754 ऑफ 2020 में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.03.2021 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए थी, जो निम्नवत है :

"7. *The Section propagates the social philosophy of vacancies for reserved category not lapsing in case there are inadequate number of candidates. Thus, instead of offering it to the general category, a provision has been made to carry forward those vacancies for one year.In case even in the succeeding year, these*

vacancies are not filled in, then it goes to other categories. However, crucial issue arises from the last sentence of third proviso to Section 27(f) which provides for the selection of appointment for the next direct recruitment to be made "first for backlog vacancies and then the normal rotation shall be followed." Meaning, thus, has to be assigned to what is implied by the expression "first" vis-à-vis the backlog vacancies."

5(घ).डॉ० अनूप वर्मा, अन्य पिछड़ा वर्ग को विज्ञापन संख्या 2001/01, दिनांक 04.02.2001 के क्रम में प्रवक्ता (अनारक्षित) पद पर नियुक्त किया गया था, जिसके विरुद्ध कुलाधिपति सचिवालय को प्रेषित शिकायती पत्र पर कुलाधिपति सचिवालय द्वारा कुलपति को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिये जाने एवं विश्वविद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग के 116 शिक्षक कार्यरत होने पर भी कुलपति द्वारा वरिष्ठता समिति से डॉ० अनूप वर्मा को नहीं हटाया गया अतएव उक्त वरिष्ठता समिति का गठन पूर्णतः अवैध एवं परिनियम 11.10(6) के प्रावधान के विरूद्ध है।

5(च).विश्वविद्यालय द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.03.2021 में प्रतिपादित की गयी व्यवस्था सम्बन्धी प्रत्यावेदक के प्रत्यावेदन के प्रस्तर 17 में उल्लिखित तथ्य पर विवाद न करके उसे स्वीकार किया गया है। धारा 3(2) उ.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में यह व्यवस्था दी गयी है : *"If, in respect of any year of recruitment any vacancy resered for any category of persons under sub-section-1 remains unfilled,* ***such vacancy shall be carried forward and be filled through special recruitment in that very year*** *or in succeeding year or years of recruitment as a separate class of vacancy and such class of vacancy shall not be considered together with the vacancies of the year of recruitment in which it is filled."* इस प्रकार से आदेश दिनांक 16.07.2022 द्वारा गलत तरीके से निर्धारित वरिष्ठता विश्वविद्यालय के नियमों, विनियमों और परिनियमों के साथ–साथ उपर्युक्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के विरुद्ध है। तदनुसार प्रत्यावेदक द्वारा उक्त वरिष्ठता सूची में संशोधन कराते हुए स्वयं को क्रम

संख्या 03 पर एवं विपक्षी डॉ० श्याम चन्द्र चौधरी को कम संख्या 04 पर रखे जाने एवं अन्य परिणामी लाभ दिलाये जाने की याचना की गयी है।

6. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग में Backlog Advt./CSMMU-12/B-2008 दिनांक 20.08.2008 द्वारा Lecturer/Assistant Professor (under Backlog Recruitment SC-01, OBC-01) एवं General Advt./CSMMU-33/B-2008 दिनांक 20.08.2008 द्वारा Lecturer/Assistant Professor (under General Recruitment UR-02, OBC-04, SC-02) पद विज्ञापित किये गये थे। इन पदों के सापेक्ष प्रत्यावेदक एवं अन्य अभ्यर्थियों को अर्ह पाये जाने पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया। साक्षात्कार में सफल हुए अभ्यर्थियों को चयन समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.02.2009 में अनुमोदनोंपरान्त Backlog Advt./CSMMU-12/B-2008 के सापेक्ष प्रत्यावेदक की नियुक्ति सहायक आचार्य (SC-category under Backlog Recruitment) पद पर करते हुए प्रत्यावेदक को नियुक्ति पत्र संख्याः 17690/बी–09 दिनांक 22.02.2009 एवं General category under General Recruitment सम्बन्धी विज्ञापन General Advt./CSMMU-33/B-2008 के सापेक्ष विपक्षी डा० श्याम चन्द चौधरी की नियुक्ति सहायक आचार्य (OBC-category under General Recruitment) के पद पर करते हुए नियुक्ति पत्र संख्याः 17713/बी–09 दिनांक 22.02.2009 जारी किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यावेदक की नियुक्ति पूर्ववर्ती नियुक्ति है ।

7. इन पृथक–पृथक विज्ञापनों के कम में, एक ओर बैकलॉग विज्ञापन संख्या 12/बी– 2008 के सापेक्ष चयन समिति द्वारा बैकलॉग चयन–एससी कैटेगरी के पद पर प्रत्यावेदक डॉ0 सत्येन्द्र कुमार सोनकर एवं बैकलॉग चयन–ओबीसी कैटेगरी के पद पर डॉ0 मुन्ना लाल की प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु स्पष्ट संस्तुति की गयी एवं इन अभ्यर्थियों की वरिष्ठता 1. सत्येन्द्र कुमार सोनकर एवं 2. मुन्ना लाल निर्धारित की गयी। दूसरी ओर, सामान्य चयन सम्बन्धी विज्ञापन संख्या 33/बी–2008 के सापेक्ष चयन समिति द्वारा अनारक्षित–02, अन्य पिछड़ा वर्ग–04 एवं अनुसूचित जाति–02 पदों पर विपक्षी डॉ0 श्याम चन्द चौधरी व

07 अन्य, कुल 08 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति की गयी तथा, इन अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची (बैकलॉग विज्ञापन संख्या 12/बी–2008 के अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए) 1. श्याम चन्द चौधरी, 2. सत्येन्द्र कुमार सोनकर, 3. विवेक कुमार, 4. डी0 हिमांशु, 5. अविनाश अग्रवाल, 6. अजय कुमार, 7. शैलेन्द्र प्रसाद वर्मा, 8. कमलेश कुमार गुप्ता, 9. मुन्ना लाल एवं 10. अभिषेक सिंह निर्धारित कर दी गयी जबकि बैकलॉग चयन एवं सामान्य चयन हेतु एक ही चयन समिति द्वारा पृथक–पृथक संस्तुतियॉ की गयी। बैकलॉग पद की चयन समिति द्वारा प्रत्यावेदक व डॉ0 मुन्ना लाल की वरिष्ठता निर्धारित कर दी गयी। सामान्य चयन वाली चयन समिति ने बैकलॉग पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए विधिविरुद्ध ढंग से संयुक्त वरिष्ठता निर्धारित कर दी गयी, जिस पर तत्कालीन कुलपति द्वारा बिना युक्तियुक्त विचार किये अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। चयन समिति द्वारा पृथक–पृथक प्रस्तुत की गयी उपर्युक्त संस्तुतियों से स्पष्ट है कि प्रत्यावेदक का चयन बैकलॉग विज्ञापन संख्याः 12/बी–2008 (बैकलॉग चयन एससी–01) के सापेक्ष किया गया है। इस प्रकार से प्रत्यावेदक के कथनानुसार प्रकरण बैकलॉग/विशेष भर्ती की वरिष्ठता से तथा विपक्षी डॉ0 चौधरी व विश्वविद्यालय के कथनानुसार प्रकरण वरिष्ठता से अन्तर्ग्रस्त है।

8. उपरोक्तानुसार, चयन प्रकिया से सम्बन्धित कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा बैकलॉग व सामान्य, पृथक–पृथक विज्ञापनों द्वारा व्याख्याता/सहायक आचार्य के पद विज्ञापित किये गये। चयन समिति द्वारा प्रथम विज्ञापन संख्या 12/बी–2008 दिनांक 20.08.2008 के विरुद्ध प्रत्यावेदक का चयन किये जाने की संस्तुति की गयी। द्वितीय विज्ञापन संख्या 33/बी–2008 के विरूद्ध विपक्षी व 07 अन्य का चयन किये जाने की संस्तुति की गयी, इन पृथक–पृथक विज्ञापनों व चयन/नियुक्तियों के सापेक्ष, चयन समिति द्वारा की गयी पृथक–पृथक संस्तुतियॉ नियमानुकूल रही, किन्तु सामान्य चयन वाली चयन समिति द्वारा दिनांक 20.08.2008 को, दोनों चयनों को एक चयन मानते हुए

मेरिट के आधार पर पारस्परिक ज्येष्ठता अवधारित करते हुए संयुक्त ज्येष्ठता निर्धारित कर दिया जाना प्रथमदृष्ट्या त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

9. प्रत्यावेदक के इस कथन कि डॉ० अनूप कुमार वर्मा (अनारक्षित संकाय सदस्य) को विश्वविद्यालय द्वारा वरिष्ठता समिति में नामित किया गया था जो अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिससे वरिष्ठता समिति का गठन विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम में निर्धारित वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है, इस सम्बन्ध में चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 51 के प्रावधान भी अवलोकनीय हैं, जिनके अनुसार चयन समिति के गठन में यदि कोई ऐसी त्रुटि भी हुई है, जिससे प्रकरण के गुण–दोष पर कोई प्रभाव न पड़ता हो तो ऐसी त्रुटि के कारण उक्त अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत की गयी कोई कार्यवाही अथवा प्रकिया अवैध नहीं होगी। इस सम्बन्ध में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, द्वारा निर्णीत निर्णयज विधि **डॉ0 मो0 सुहैल प्रति कुलाधिपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, (1994) 2 यूपीएलबीईसी 787** भी अवलोकनीय है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 66 के प्रावधान अथवा अधिनियम, 2002 की धारा 51 के प्रावधान अधिभावी प्रभाव रखते हैं, अतएव इस सम्बन्ध में भी प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

10. विश्वविद्यालय के इस कथन कि अधिनियम, 2002, सम्बन्धित परिनियमावली एवं उ०प्र० सरकारी सेवक नियमावली, 1991 आदि में यह व्यवस्था इंगित नहीं है कि एक ही चयन वर्ष में चयनित अभ्यर्थियों को बैकलॉग के अन्तर्गत चयनित एवं सामान्य चयन के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों से नीचे रखा जाए और न इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश उपलब्ध है, के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उ.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3(2) के प्रावधान *"If in respect of any year of recruitment any vacancy reserved for any category of persons under sub-section-1 remains unfilled, such vacancy shall be*

carried forward and be filled through special recruitment in that very year or in succeeding year or years of recruitment as a separate class of vacancy and such class of vacancy shall not be considered together with the vacancies of the year of recruitment in which it is filled." एवं शासनादेश संख्या 22/43/1982–कार्मिक–2 दिनांक 04.10.1989 प्रकरण में अवलोकनीय है जिसका सुसंगत अंश निम्नवत् है :

"मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर समसंख्यक शासनादेश दिनांक 30.01.1989 में अनुसूचित जाति/जन–जाति के लिए राज्याधीन सेवाओं में निर्धारित कोटा पूरा करने हेतु अगला नियमित चयन करने से पूर्व पिछले नियमित चयन की अवशेष आरक्षित वर्ग के लिए विशेष चयन केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए सीमित रखते हुए आयोजित करने के निर्देश दिये गये थे।

1. इस सम्बन्ध में शासन के समक्ष अनेक जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें सीमित प्रतियोगिता/चयन के लिए आरक्षित रिक्तियों के गणना के बिन्दु उठाये गये हैं। अधिकांश नियुक्ति प्राधिकारियों तथा विभागों को यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सीमित विशेष चयन हेतु किन–किन आरक्षित रिक्तियों को गणना में लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि विशेष चयन हेतु केवल वे आरक्षित रिक्तियाँ आगणन में लायी जायेंगी, जो पिछले नियमित चयन, जिसके अनुक्रम में प्रश्नगत विशेष चयन आयोजित किया जा रहा हो, में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित की गयी थी, किन्तु किन्हीं कारणोवश भरी न जा सकी हों। ऐसे विशेष चयन में उन रिक्तियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है जो पूर्व में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित की गयी थी किन्तु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण तथा कार्य हित में तदर्थ आधार पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भर ली गयी हों। शर्त यह है कि ऐसी तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण की नीति से आच्छादित न होती हों। ऐसी रिक्तियों के विरुद्ध आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर तदर्थ नियुक्तियाँ तत्काल समाप्त करते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। विशेष चयन में वे रिक्तियाँ भी सम्मिलित की जाएगी जो पूर्व में किन्हीं कारणोवश आरक्षित घोषित कर दी गयी हों किन्तु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से भरी न जा सकी हों।

2. मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि यदि त्रुटिवश या अन्य किन्हीं कारणोंवश पिछले अन्तिम सामान्य चयन के अवसर पर अग्रनीत रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट न की गयी हो तो विशेष चयन आयोजित करने के उद्देश्य से पिछले अभिलेखों के प्रकाश में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि पिछले अन्तिम सामान्य चयन के अवसर पर निर्धारित नीति के अनुसार कुल कितनी रिक्तियाँ अग्रेनीत रिक्तियों की श्रेणी में आती हैं।

3. उक्त व्यवस्था सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों ही मामलों में समान रूप से अपनायी जायेगी।...."

11. यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यावेदक का चयन बैकलॉग के अंतर्गत, सामान्य भर्ती विज्ञापन संख्या 33/बी–2008 से पूर्व, पृथक विज्ञापित विज्ञापन संख्या 12/बी–2008 द्वारा अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित पद के सापेक्ष किया गया है, अर्थात उक्त विज्ञापन, सामान्य भर्ती विज्ञापन संख्या 33/बी–2008 से पूर्व निर्गत/विज्ञापित किया गया है। चयन समिति द्वारा भी पृथक से, विज्ञापन संख्या का उल्लेख करते हुए प्रत्यावेदक की नियुक्ति व उसकी वरिष्ठता निर्धारण की संस्तुति की गयी है। अधिनियम, 2002 एवं परिनियमावली आदि में उपर्युक्त प्रयोजनार्थ कोई विशिष्ट नियम/व्यवस्था न होने के दृष्टिगत प्रत्यावेदक का चयन, पूर्ववर्ती चयन होने के कारण प्रत्यावेदक को ज्येष्ठता सूची में उसी वर्ष के पश्चातवर्ती चयनित अभ्यर्थियों से ऊपर स्थान प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। बैकलॉग के जिस पद पर प्रत्यावेदक का चयन हुआ है वह निश्चित रूप से सामान्य चयन के पदों के विज्ञापन से पूर्व चयन हेतु उपलब्ध था, अतः प्रत्यावेदक को पूर्व चयनित अभ्यर्थी माना जायेगा। इस सम्बन्ध में, मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बैकलॉग रिक्तियों को भरे जाने से सम्बन्धित निर्णयज विधि **स्टेट आफ तमिलनाडु बनाम के. शोबना व अन्य,** एआईआर 2021 एससी 1267 में दिनांक 05.03.2021 को पारित निर्णयादेश का सुसंगत अंश अवलोकनीय है, जो निम्नवत् है :

"*27. There can be no doubt about the proposition that if a word is used in a Statute, it cannot be made otiose as held in Hardeep Singh (supra). However, that is not the factual scenario in this case. The question arises as to at which stage would the factual scenario in this case. The question arises as to at which stage would Section 27 of the Act operates, and where in the list, the application of the "first" principle would apply. Section 27 deals with the reservation. It has nothing to do with the general candidates list/ General Turn vacancies. Such of the candidates who have made it on their own merit albeit, from reserved category, have not sought the benefit of the reservation. Thus, Section 27 of the Act would have nothing to do up to that point. Section 27 would apply only when the reservation principle begins, which is after filling up of the seats on merit. Thus,* ***the word "first" would apply at that stage, i.e., the backlog vacancies have to be filled in first and the current vacancies to be filled in thereafter.*** *At the stage when the general category seats are being filled, there is thus no question of any carry forward or current vacancies for reserved category arising at all.*"

कुलाधिपति
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
UTTAR PRADESH, LUCKNOW

राजभवन, लखनऊ
RAJBHAWAN, LUCKNOW

Ref. No. : ....

Date. : ....

12(अ).अतएव, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपर्युक्त विवेचन एवं विधि व्यवस्था के आलोक में, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.07.2022 द्वारा निर्गत वरिष्ठता सूची अस्वीकार की जाती है एवं विश्वविद्यालय कार्य परिषद को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यावेदक को वरिष्ठता पुनर्निर्धारण सम्बन्धी अनुतोष प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अविलम्ब उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

12(ब).प्रत्यावेदक का प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

ह0 /–

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. डा0 सत्येन्द्र कुमार सोनकर, आचार्य, मेडिसिन विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. डा0 श्याम चन्द चौधरी, आचार्य, मेडिसिन विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल हेतु।

12/6/24

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

ाधिपति
जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
र प्रदेश, लखनऊ
HANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
UTTAR PRADESH, LUCKNOW

राजभवन, लखनऊ
RAJBHAWAN, LUCKNOW

Ref. No. : ....

Date. : ....

12(अ).अतएव, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपर्युक्त विवेचन एवं विधि व्यवस्था के आलोक में, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.07.2022 द्वारा निर्गत वरिष्ठता सूची अस्वीकार की जाती है एवं विश्वविद्यालय कार्य परिषद को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यावेदक को वरिष्ठता पुनर्निर्धारण सम्बन्धी अनुतोष प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अविलम्ब उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

12(ब).प्रत्यावेदक का प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

Anandiben Patel
(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. डा0 सत्येन्द्र कुमार सोनकर, आचार्य, मेडिसिन विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. डा0 श्याम चन्द चौधरी, आचार्य, मेडिसिन विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल हेतु।

12/6/24
(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

13/6/24

13.06.24